# न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 43/2023
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023/111

**प्रार्थीया**

1 नेवुबेन पुत्री केवदा पत्नी मेघाभाई जाति–कलबी, निवासी–खोड़ा हाल सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

**अप्रार्थीगण**

1 संतोक पत्नी लादा, कलबी निवासी–सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर
2 सोनी देवी पुत्री लादाराम पत्नी मूंगाराम, जाति–कलबी, निवासी–काजा का गोलिया सांचौर, तहसील–सांचौर
3 अमरूदेवी पुत्री लादाराम पत्नी मावजीराम, कौम–कलबी, निवासी–वोढ़ा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
4 केसाराम गोदपुत्र लादाराम, कौम–कलबी, निवासी–सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
5 तहसीलदार सांचौर, जिला–जालोर
6 उप पंजीयक सांचौर, तहसील–सांचौर

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**तारीख रजु :– 05.09.2023**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा व प्रकाशचन्द पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिद्धेश्वर में खातेदारी भूमि नवीन खेत खसरा संख्या 52, 53, 54 रकबा 6.25 हैक्टेयर की आई हुई है जो वर्तमान के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से संपूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से दर्ज है। उपरोक्त आराजी के पुराने खसरा नंबर 25 की आराजीयान वक्त [illegible] सेटलमेंट प्रार्थीया के दादा प्रभा पुत्र अखा के नाम से दर्ज रही है [illegible] की पुश्तैनी आराजी होने के कारण प्रार्थीया, प्रार्थीया के भाई स्व. लादा प्रत्येक का [illegible] बराबर अर्थात् 1/2 हिस्सा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के अनुसार निहित है। नकल जमाबंदीयां सलंग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। ग्राम सिद्धेश्वर में स्थित प्रार्थीया की पुश्तैनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 52, 53, 54 रकबा 6.25 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख में मेरे भाई लादा पुत्र केवदा के फौत होने के पश्चात उक्त संपूर्ण वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 संतोकदेवी के नाम दर्ज हो गई जबकि लादा के गोद पुत्र केसाराम एवं अन्य पूत्रीयों का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

बतौर विधिक वारिशान राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया। उक्त स्थिति का नाजायज रूप से लाभ प्राप्त करते हुए एवं प्रार्थीया को उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयान कुल रकबा 6.25 हैक्टेयर में प्रार्थीया के 1/2 हिस्से से जानबूझकर प्रार्थीया को वंचित करने के कुत्सीत उदेश्य से अप्रार्थीगण संख्या 01 ने अन्य अप्रार्थी से अविधिक रूप से मिलावट कर अपने वास्तविक हिस्से अर्थात् 1/8 हिस्से की आराजी के स्थान पर संपूर्ण वादग्रस्त आराजी 6.25 हैक्टेयर की आराजी का पंजीकृत दानपत्र अविधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 02 सोनी देवी के पक्ष में निष्पादित कर दिया। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया के उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वांके ग्राम सिद्धेश्वर में प्रार्थीया की पैतृक एवं कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि नवीन खेत खसरा नंबर 52, 53, 54 रकबा 6.25 हैक्टेयर भूमि में इस अमर अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी में हमारे उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें एव न ही किसी अन्य से करावें तथा आगे किसी को बैचान या हस्तांतरण नहीं कर रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत प्रार्थीया कोई अधिकार नहीं मिलता है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त, हक अधिकार अप्रार्थीगण का है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है ऐसी सूरत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम सिद्धेश्वर पटवार हल्का धमाणा में खेत खसरा संख्या 52, 53, 54 रकबा 6.25 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद [illegible])
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **13.10.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर